संख्या-497/39-4-2025/2025/001-10-04-2021

प्रेषक,

राम नगीना मौर्य,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान,
लखनऊ।

सतर्कता अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः जुलाई, 2025

विषय- उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान झांसी सेक्टर के कार्यालय भवन के निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर निदेशक, उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान, लखनऊ के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-स0अ0/अनु-4-बी-50/76, दिनांक 12.08.2024 एवं पुलिस उप महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक(मु0), उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान, लखनऊ के पत्र संख्या-स0अ0/अनु-4-बी-50/1976, दिनांक 16.04.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-82 के लेखाशीर्षक-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-03-सतर्कता अधिष्ठान के कार्यालय भवन का निर्माण-0301-सतर्कता अधिष्ठान, झांसी हेतु मानक मद संख्या-24-वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान झांसी सेक्टर के कार्यालय भवन के निर्माण कार्य हेतु कुल आगणन लागत रुपये 682.58 लाख के सापेक्ष प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा मूल्यांकित कुल लागत रुपये 626.80 लाख (रुपए छः करोड़ छब्बीस लाख अस्सी हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2025.26 में इस मद में प्राविधानित धनराशि में से रु0 313.40 लाख (रुपये तीन करोड़ तेरह लाख चालीस हजार मात्र) को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति

अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्य की निविदा में प्राप्त बचत की धनराशि को सम्बन्धित अधिकारी द्वारा राजकोष में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान कार्यदायी संस्था द्वारा निर्धारित विशिष्टियों एवं मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य सम्पादित कराया जायेगा तथा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाय।

(4) प्रायोजना में मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी का होगा।

(5) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर उसका कब्जा विभाग को उपलब्ध करा दिया जायेगा। जिससे कास्ट ओवर रन/टाइम ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो। प्रायोजना में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन को नियंत्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21.06.2017 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्कतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक, डाकघर, डिपाजिट खातें में नहीं रखी जायेगी।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(8) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(9) यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

(10) उक्त धनराशि का व्यय/उपकरणों आदि का क्रय स्टोर परचेज रूल्स एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों व समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(11) प्रस्तावानुसार स्वीकृत कार्य हेतु आंकलित लागत में सम्मिलित लेबर सेस, मूल्य ह्रास निधि तथा जी0एस0टी0 आदि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षकों में जमा की जायेगी। लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

(12) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर लागत आंकलित की गयी है, जो वास्तविकता के आधार पर अनुमन्य होगी। उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान/कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो तथा जी0एस0टी0 का भुगतान वास्तविकता के आधार पर किया जायेगा। उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान/कार्यदायी संस्था का यह भी दायित्व होगा कि कार्ययोजना के निर्माण में वास्तविक खपत (Consumed) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट/स्टील/बिटुमिन इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक/मानक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 की वास्तविक धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(14) दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के शासनादेश सं0-5/2021/फाइल नं0-65-2013/2/2019-2, दिनांक 15 जनवरी, 2021 के अनुपालन के क्रम में दिव्यांगजन हेतु भवनों को दिव्यांगजन हितैषी/बाधारहित बनाये जाने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्गत "Harmonized guidelines and standards for universal accessibility in India, 2021" दिये गये प्रावधानों के अनुसार उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान/कार्यदायी संस्था द्वारा भवन का निर्माण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(15) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99 दिनांक 22 मार्च, 2021 के अनुसार अनुमोदित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त इसकी डी0पी0आर0 गठित करने के उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति निर्गत की जाये। यदि इस प्रक्रिया में यह परिलक्षित होता है की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तकनीकी स्वीकृति की लागत में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षित आगणन गठित करते हुए 3 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जाय।

(16) कंटीजेन्सी मद में प्राविधानित धनराशि का व्यय सक्षम स्तर के अनुमोदन के उपरान्त वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित कार्यमदों में ही किया जायेगा।

(17) उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान/कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त यथा आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(18) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए लागत का अनुमोदन किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान का होगा।

(19) प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।

(20) प्राविधानों को यथावत मानते हुये प्रायोजना का परीक्षण किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यों के आकार में वृद्धि, नये कार्य बढ़ाना कार्यों का आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि बिना सक्षम स्तर/पी0एफ0ए0डी0 का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये नहीं किया जायेगा।

(21) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान/कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्य न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में अच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(22) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों का आवश्यकता के अनुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकर अथारिटी से स्वीकृत कराया गया।

(23) उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान/कार्यदायी संस्था द्वारा उपकरणों का क्रय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 23.08.2017 में दी गयी व्यवस्था के माध्यम से किया जायेगा।

(24) कार्यदायी संस्था को जो धनराशि अवमुक्त की जायेगी वह कार्य की आवश्यकतानुसार होनी चाहिए। कार्यदायी संस्था को पूर्व में दी गयी धनराशि के 75 प्रतिशत के उपयोग करने के उपरान्त अगले छः माह के लिए पुनः आवश्यक धनराशि नियमानुसार देय होगी।

(25) क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्य हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धाओं के आधार पर दरें प्राप्त करें। चूंकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हैं एवं उनके शिड्यूल ऑफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मॉडल एवं स्पेसीफिकेशन में अन्तर आना स्वाभाविक है।

(26) उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान/कार्यदायी संस्था द्वारा सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत एवं वित्तीय स्वीकृतियों से सम्बन्धित वित्तीय प्रबन्धन के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के नवीनतम शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17.05.2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 19.05.2023 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आता है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जाये।

(27) उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान/कार्यदायी संस्था द्वारा प्रायोजना की भौतिक प्रगति, धनराशि अवमुक्त तथा सी0एम0आई0एस0 पोर्टल पर दर्ज किये जाने आदि के सम्बन्ध में नियोजन अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 07.06.2022 में निहित प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(28) उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान/कार्यदायी संस्था द्वारा पी0एफ0ए0डी0 की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(29) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2026 तक कर लिया जायेगा।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,13,40,000 (रुपये तीन करोड़ तेरह लाख चालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 082 लेखा शीर्षक 4059010510301 सतर्कता अधिष्ठान, झाँसी मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-12-165-X-2025-26 दिनांक 28.07.2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
(राम नगीना मौर्य),
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-497(1)/39-4-2025/2025/001-10-04-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी झांसी।

4- कोषाधिकारी झांसी।
5- पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान, झांसी सेक्टर झांसी।
6- सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी, उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान, झांसी।
7- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ।
8- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (भवन), लोक निर्माण विभाग, झांसी।
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12, उ0प्र0 शासन।
10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
11- वित्त नियंत्रण/लेखाधिकारी, उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान, लखनऊ।
12- आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(राम नगीना मौर्य),
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।